न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2024/144

सिविल प्रकरण संख्याः– 58/2024

तारीख रजू 29.07.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. प्रेमप्रकाश गर्ग पुत्र बाबूलाल गर्ग (मौके पर विक्रेता) मैसर्स ममता किराना स्टोर, मैन मार्केट, भाडौती सवाईमाधोपुर, निवासी प्लॉट 74, गुलाब नगर सवाई माधोपुर
2. श्रीमती ममता पत्नी प्रेमप्रकाश गर्ग (प्रोपराईटर) मैसर्स ममता किराना स्टोर, मैन मार्केट, भाडौती, सवाईमाधोपुर, निवासी प्लॉट 74, गुलाब नगर, सवाई माधोपुर

..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 10.04.2026**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर के निलम्बन होने के कारण पत्रावली अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में अनुसंधान कर न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु श्री बाबूलाल तगाया खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अधिकृत कर मूल पत्रावली पत्रांक 1238 दिनांक 18.12.2023 से आवेदक को सूपूर्द की गई। अभिहित अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु एवं प्रकरण में समय अवधि विस्तारित हेतु स्वीकृति जारी करने बाबत् अनुशंषा आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण) को पत्रांक 585 दिनांक 27.06.2024 द्वारा भिजवाई गई। जिस पर आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 77 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में प्रकरण को न्यायालय में पेश करने की अनुमति आदेश कमांक 1166 दिनांक 05.07.2024 एवं शुद्धिकरण पत्र कमांक 1312 दिनांक 12.07.2024 द्वारा जारी की गई। श्री बाबूलाल तगाया खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन द्वारा दिनांक 30.10.2021 को सांय 04.15 पी.एम. पर मैसर्स ममता किराना स्टोर, मैन मार्केट, भाडौती, सवाई माधोपुर पर पहुँचे। वहां पर प्रेमप्रकाश गर्ग पुत्र बाबूलाल गर्ग उपस्थित मिले जिन्हें अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। प्रेमप्रकाश गर्ग ने स्वयं को फर्म का विक्रेता एवं श्रीमती ममता गर्ग को प्रोपराईटर होना बताया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने प्रेमप्रकाश गर्ग से वर्ष 2021 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने खाद्य पदार्थ विक्रय रजिस्ट्रेशन पत्र दिखाया एवं छाया प्रति मौके पर पेश की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन द्वारा फर्म का निरीक्षण करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:13:25 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

पर आम जनता को विक्रय हेतु मस्टर्ड ऑयल (आशिष ब्राण्ड) 800 एमएल एक लकडी की रेक में लगभग 10 बोतल विक्रय हेतु रखी हुई थी। इनमें गुणवत्ता में कमी होने का अन्देशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 800 एमएल के 04 बोतल खरीद कर उसकी कीमत 600/– रूपये विक्रेता प्रेमप्रकाश गर्ग को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान पुष्कर राज मीना के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे प्रेमप्रकाश गर्ग ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति प्रेमप्रकाश गर्ग को देकर रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने खरीदशुदा 800x4 एमएल के 04 मूल बोतल पर लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक **H-2138** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **H-2138** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर छः की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन द्वारा डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक FSSA/2021/2599 दिनांक 02.12.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं0 एलएस/1614/एक्ट/2021/1554 दिनांक 24.11.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मस्टर्ड ऑयल (आशिष ब्राण्ड) 800 एमएल **Substandard प्रकृति का** होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ मस्टर्ड ऑयल (आशिष ब्राण्ड) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:13:25 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

26(2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रकरण में जवाब पेश किया। पत्रावली में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ मस्टर्ड ऑयल (आशिष ब्राण्ड) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण पर अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

वकील अभियुक्तगण ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि जाप्ता फौजदारी की धारा 468 वर्तमान धारा 514 में स्पष्ट प्रावधान है कि जिन प्रकरणों में केवल जुर्माने का प्रावधान है उनमें प्रकरण 6 माह में तथा जिनमें एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है उनमें एक वर्ष में तथा शेष प्रकरण में अधिक से अधिक 3 वर्ष में प्रकरण पेश किया जाना चाहिये। एफएसएसए एक्ट की धारा 77 में भी एक वर्ष के अन्दर अन्दर प्रकरण पेश करना आवश्यक है यदि अपराध संगीन है तो भी अधिक से अधिक 3 वर्ष में वो भी विशेष परिस्थिति हो तभी पेश किया जा सकता है। न्यायालय हाजा के यहां पेण्डिग मामले में केवल जुर्माने का प्रावधान है इसलिए उक्त प्रकरण टाइमवार्ड पेश होने के कारण काबिले खारिज है। अतः वकिल अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण को प्रथम दृष्टया खारिज फरमाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने पत्र कमांक एफएसएसए/2024/585 दिनांक 27.06.2024 के द्वारा आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण), स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर राजस्थान को परिवाद के तथ्यों को स्पष्ट करते हुए समय सीमा बढाने का निवेदन किया गया था जिस पर आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण), राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक आयुक्ता./खा.सु.औ.नि./स.सी./2024/1166 दिनांक 5.7.24 एवं शुद्धिकरण आदेश कमांक आयुक्ता./खा.सु.औ.नि./स.सी./2024/1312 दिनांक 12.7.24 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 77 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में उक्त प्रकरण को न्यायालय हाजा में पेश करने की समय सीमा दिनांक 01.08.2024 तक विस्तारित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है जिसकी पालना में आवेदक द्वारा दिनांक 29.07.2024 को न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय हाजा में पेश किया है जोकि आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण), राजस्थान जयपुर के उपर्युक्तानुसार वर्णित आदेशों की पालना में तय समय सीमा के भीतर पेश किया गया है। मुख्य खाद्य विश्लेषक ... से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1614/एक्ट/2021/1554 दिनांक 24.11.202... ...ार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:13:25 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** मस्टर्ड ऑयल (आशिष ब्राण्ड) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। लेब की जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूने में Saponification value का result 178.56 दिया हुआ है जबकि 168.0 to 177.0 होना चाहिए था। आवेदक द्वारा अभियुक्तगण से मस्टर्ड ऑयल (आशिष ब्राण्ड) के अग्रिम खरीद बिल प्रस्तुत करने हेतु पत्र कमांक 1249 दिनांक 21.12.2023, 392 दिनांक 6.5.24 एवं 495 दिनांक 12.06.2024 के द्वारा पत्र लिखा गया था किन्तु फर्म मालिक एवं मौके पर विक्रेता द्वारा कोई अग्रिम खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया जबकि उक्त पत्र में अंकित किया गया था कि अग्रिम खरीद बिल प्रस्तुत नहीं करने पर आपको अन्तिम पार्टी मानते हुए कार्यवाही की जावेगी। इस प्रकार आवेदक द्वारा पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार की गई है। अभियुक्तगण के बहस में कथित तर्क सही साबित नहीं होते है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** मस्टर्ड ऑयल (आशिष ब्राण्ड) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण पर संयुक्त रूप से 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **10.04.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:13:25 IST
Reason: SelfAttested